

(राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1958 के नियम 138 के अन्तर्गत)

राजस्व रेकार्ड में शुद्धि कराने का प्रपत्र

ग्रामीण समस्या समाधान शिबिर-2025

प्रयासन गांवों के संग-2021

क्र. सं.	खाता सं०	खसरा नंबर	रकबा	वर्तमान खाते का विवरण	तहसील- <u>आबूरोड</u>	प्रस्तावित प्रविष्टि	वि०वि०
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
1	194	136 137	0.3288 0.7081	हंसा उर्फ हंसराज पुत्र खासा हिस्सा-पूर्ण जग्गि-माली सा.पैट खातेदार रहिन (पूर्ण खाता) राजस्थान मन्त्रालय ग्रामीण बैंक शाखा ABUROAD	हंसा उर्फ हंसराज पुत्र खासा हिस्सा-पूर्ण जग्गि माली सा.पैट खातेदार रहिन (पूर्ण खाता) राजस्थान <del>मन्त्रालय</del> ग्रामीण बैंक शाखा ABUROAD		

मुताबिक मिसल/जमाबन्दी संवत् 2076-2079 (वर्ष 2019) से स्थायी के उपरोक्तानुसार हिस्सा शुद्ध किया जाना प्रस्तावित है। प्रकरण अन्तर्गत धारा 138 राज० भू० राजस्व अधिनियम 1958 के तहत श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय आबूरोड के समक्ष श्रयण योग्य है।

साबिक राजस्व रिकॉर्ड से मिलान किया गया। रिपोर्ट पटवारी पूर्ण है। अतः उपरोक्तानुसार खाते में शुद्धि किया जाना उचित है।

प०हल्का खड्डा  
भू०अ०नि० आबूरोड  
की रिपोर्ट व साबिक रिकॉर्ड के मिलान के आधार पर उपरोक्तानुसार शुद्ध किया जाना उचित है। प्रकरण बन्दोबस्त संक्रियाओं के दौरान/पूर्व का होने से श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय आबूरोड को सादर प्रेषित है।

प०हल्का खड्डा  
भू०अ०नि० आबूरोड  
राजस्व अधिकारी \_\_\_\_\_ की रिपोर्ट व साबिक रिकॉर्ड के आधार पर उपरोक्तानुसार शुद्धीकरण किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। हाल जमाबंदी में अपल किया जावे।  
उपखण्ड अधिकारी  
उपखण्ड कार्यालय आबूरोड  
ह० उपखण्ड अधिकारी

Bhush  
24/12/25

पटवारी (भू.अ.)  
पटवारी \_\_\_\_\_  
तहसील आबूरोड (रिपोर्टर)

दिनांक 24/12/25

\_\_\_\_\_  
ह० भू०अ०नि०  
आबूरोड

\_\_\_\_\_  
24/12/25  
ह० राजस्व अधिकारी

नांक \_\_\_\_\_